भारतीय कौन है, क्या कानून और संविधान तय करता है?

अखिल भारतीय नागरिकता क्या है?

नागरिकता का पूरा मुद्दा किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है और इसलिए इसे अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है।

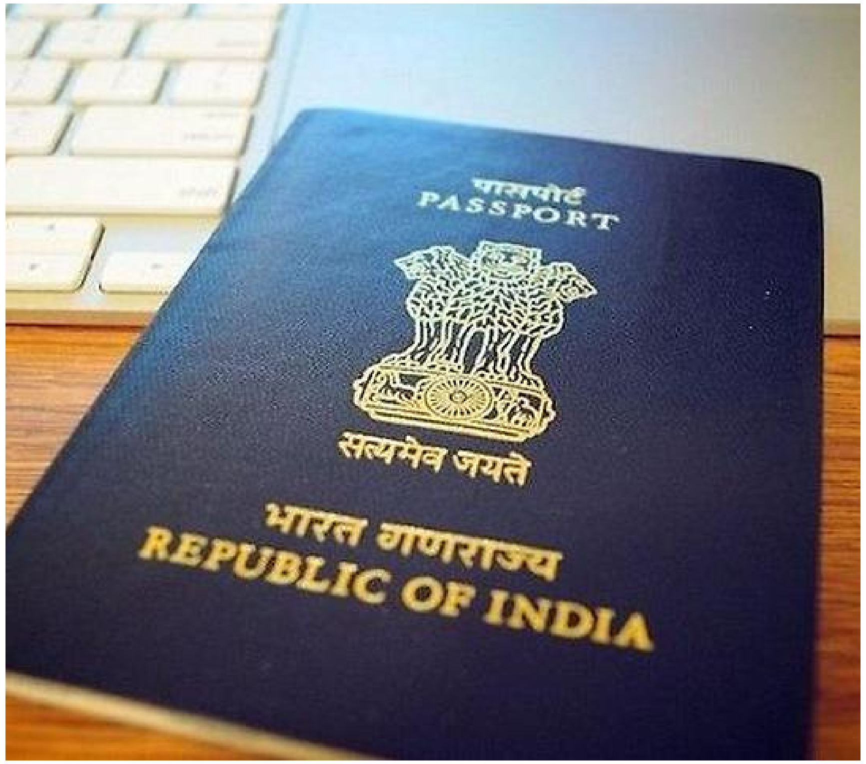

नागरिकता (CITIZENSHIP) कई मायनों में व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को परिभाषित करती है। भारत, जब स्वतंत्र (1947) हुआ और उसके बाद जब इसने खुद को एक समावेशी और समग्र राष्ट्र के तौर पर स्थापित कर (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता के बारे में रेखांकित किया गया है), 1950 में स्वीकार किया कि सभी धर्मों, पंथों के सभी लोग, जातियाँ, भाषाएँ और लिंग, समान रूप से और बिना भेदभाव के भारतीय हैं।

कानून और संविधान

(सिटिजनशिप एक्ट, 1995 के अनुसार) अगर आप जन्म के अनुसार हैं तो, आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में होना चाहिए।

या

आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए

या

आपका ज़न्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपके पेरेंट्स में से कोई भी 'अवैध प्रवासी' नहीं होना चाहिए।

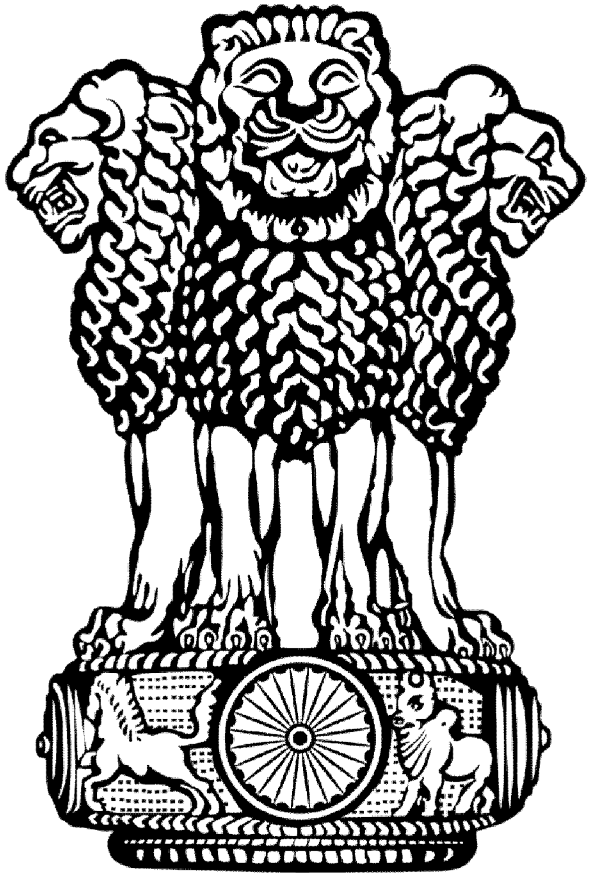

सत्यमेव जयते

अखिल भारतीय नागरिकता क्या है?

यदि आप भारत में पैदा नहीं हुए हैं तो नागरिकता प्राप्त करने का प्रमुख तरीका पंजीकरण या प्राकृतिककरण के माध्यम से है, इसके लिए आमतौर पर 12 साल से भारत में निवास करना अनिवार्य है।

लेकिन ये दोनों तरीके 'अवैध प्रवासियों' के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

अवैध प्रवासी कौन है?

जो बगैर वैध पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट के भारत में प्रवेश किया हो।

या

भारत में वैध पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट के प्रवेश किया हो लेकिन इसकी अवधि खत्म होने के बाद भी यहीं रह रहा हो।

असम में नागरिकता क्या है?

एनआरसी प्रक्रिया के साथ असम में NRC का यातनापूर्ण अनुभव राष्ट्रीय बहस को सूचित करने के लिए महत्वपूर्ण है। NRC कई स्टेक होल्डर्स के साथ एक कंसेंशियल एक्सरसाइज के रूप में शुरू हुई जो कि उथल-पुथल और लक्षित है- आज 19 लाख से अधिक लोगों को अंतिम सूची में बाहर कर दिया गया है। इससे पहले, दिसंबर 2017 में 1.2 करोड़ से अधिक लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया था, फिर 31 जुलाई, 2018 तक 44 लाख लोग बाहर थे। हर दौर में, प्रत्येक व्यक्ति और परिवार इस बहिष्कार के साये में रहा है। असम राज्य विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर के परिवार के लोग, जिन्होंने भारतीय सेना में सेवा की थी और युद्ध में दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, महिलाओं और बच्चों, जिनके पास सभी दस्तावेज थे लेकिन इस प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। इन सभी को सरकार के 'लक्ष्यों को पूरा करने' के लिए कठिनाइयां उठानी पड़ीं और खुद को अवैध अप्रवासी नहीं होने के सबूत देने पड़े।

NATIONAL REGISTER OF CITIZENS

असम में नागरिकता क्या है?

असम एनआरसी अपडेट प्रक्रिया से बहुत सारी व्यक्तिगत डरावनी कहानियां निकली हैं। असम के भीतर सबसे अधिक हाशिए वाले वर्गों के लिए मानव और भौतिक लागत बहुत ज्यादा है। सीजेपी (www.cjp.org.in) द्वारा आत्महत्या या आघात के माध्यम से (डिटेंशन कैंपों में) 100 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। नागरिकता से बाहर रखे गए लोगों का भाग्य असम के विदेशी ट्रिब्यूनलों (FTs) के पास छोड़ दिया जाता है जिनका रिकॉर्ड खराब और अनप्रोफेसनल है। जब FT किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करता है तो एक मौका होता है कि उन्हें डिटेंशन कैंप में भेजा जा सके। अब तक असम के छह डिटेंशन कैंपों में 27 मौतें हो चुकी हैं, जहां 2,000 से अधिक लोग नियमित कैदी के अधिकारों के बिना रखे गए हैं।

असम NRC (1951 – 1985)

असम में नागरिकों का पहला राष्ट्रीय रजिस्टर 1951 में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर संकलित किया गया था। इस सर्वेक्षण के छह जिलों का डेटा आज गायब है।

असम ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध के कुछ वर्षों बाद, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर "विदेशियों" के खिलाफ आंदोलन को देखा। जातीय राष्ट्रवादियों ने दावा किया कि "अवैध प्रवासी" चुनावी रोल में असम में प्रवेश कर गए और स्वदेशी समुदायों का अधिकार छीन रहे थे।

हालांकि, ऐसे अवैध प्रवासियों के कोई विश्वसनीय आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। आंतरिक पलायन करने वाले लोगों को सबूतों के अभाव में लक्षित कर "बाहरी "व्यक्ति" या "विदेशी" घोषित कर दिया गया। इस आंदोलन ने 1983 में स्वतंत्र भारत के बेहद गरीब और सीमांत असमिया मुसलमानों के पहले नरसंहार को जन्म दिया, जिसे नेली नरसंहार के रूप में जाना जाता है जहां 2500 से अधिक निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई।

असम NRC (1985 – 2013)

इसके बाद 1985 में असम समझौता हुआ जिसमें विदेशियों के खिलाफ आंदोलन समाप्त करने पर हस्ताक्षर हुए।

असम समझौते के अनुसार, जो लोग 1.1.1966 से पहले असम आए थे, इनमें से जिन लोगों का 1967 के चुनावों में इस्तेमाल की गई मतदाता सूची में नाम था, उन्हें नियमित किया जाएगा। 1966 और 1971 के बीच राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे और ये लोग 10 साल के लिए मतदान का अधिकार खो देते हैं, जिसके बाद उनके नाम बहाल कर दिए जाते हैं। 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद असम आए विदेशी लोगों का पता लगाकर उन्हें चिन्हित कर कानून के अनुसार निष्कासित किया जाना जारी रहेगा। ऐसे विदेशियों को बाहर निकालने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे।

इस समझौते के मुताबिक, 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद जो लोग बांग्लादेश युद्ध की पूर्व संध्या पर आए थे, उन्हें विदेशी घोषित कर निर्वासित कर दिया जाएगा।

असम NRC (2013.......)

2013 में व्यापक सहमति के बाद सर्वोच्च न्यायालय की सीधी निगरानी में, नई NRC को update करने की परियोजना को 2015 के बाद सख्ती से लागू किया गया। इसके तौर-तरीके पहले ही तैयार किए गए थे।

असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की चौकस नजर के अंतर्गत आती है।

असम एऩआरसी की लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए 3,30,27,661 लोगों ने अप्लाई किया था। एनआरसी की फाइनल लिस्ट 31 अगस्त 2019 को जारी की गई जिसमें 19 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर किया गया है। वर्तमान में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के बयान देखते हुए यह समझने में समझदारी होगी कि एक देशव्यापी एनआरसी की तैयारी चल रही है। इसी के आधार पर ये बयान आ रहे हैं।

अखिल भारतीय NRC

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) क्या है, जिसे लागू करना अप्रैल 2020 से शुरू होगा और सितंबर 2020 में पूरा होगा?

आइए जानते हैं कि शेष भारत के लिए NRC का क्या अर्थ है।

शेष भारत के लिए एनआरसी के मायने समझने के लिए हमें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को समझना होगा। 2003 में, सिटिजनशिप एक्ट के तहत नागरिकता नियम पारित किए गए थे। इस नियम के तहत, केंद्र सरकार पूरे देश में नागरिकता की स्थिति निर्धारित करने के लिए घर-घर टैली करा सकती है।

इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का संकलन होगा।

अखिल भारतीय NRC

इस प्रक्रिया के दौरान जिनकी नागरिकता संदिग्ध होगी उन्हें आगे की पूछताछ के लिए संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

इसमें कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले व्यक्तियों को तुरंत सूचित किया जाएगा और उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

हालांकि, एनपीआर में शामिल किए जाने या बहिष्करण और नागरिकता के प्रमाण के मापदंड क्या होंगे, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।

अखिल भारतीय NRC

न ही राष्ट्रव्यापी एनआरसी के लिए 'कट-ऑफ' डेट के बारे में कोई चर्चा या स्पष्टता है जो तार्किक रूप से केवल 27 जनवरी 1950 को हो सकती है (भारत के संवैधानिक गणतंत्र बनने के बाद का दिन)।

फाइनल रजिस्टर प्रकाशित किए जाने के बाद प्रत्येक नागरिक को पहचान पत्र जारी किये जाएंगे।

यदि आपके पास पहचान पत्र नहीं होगा तो आपको एक विदेशी की तरह देखा जाएगा और नियमों का पालन कर डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है।

जांच और सत्यापन के बाद, एनआरसी को अपडेट करने के लिए एनपीआर से डेटा लिया जाएगा। हालांकि, जांच और सत्यापन की इस प्रक्रिया के मानदंडों पर कोई राजनीतिक चर्चा, बहस या विचार-विमर्श नहीं हुआ है।

अखिल भारतीय NRC

यह ध्यान देने योग्य है कि असम में लोगों को खुद को पंजीकृत कराने के लिए खुद आवेदन करना पड़ा है जबकि शेष भारत में ऐसा नहीं होगा। शेष भारत में सरकार घर-घर सर्वे कराकर लोगों को जनसंख्या रजिस्टर में शामिल कराएगी।

भारत के लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक होना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसे पूरी तरह से समझें और इसपर सवाल उठाएं।

अखिल भारतीय NRC

तो ऐसा क्या है जो हमें करने की आवश्यकता है?

हमें अपने सभी दस्तावेज़ों को अपडेट करना चाहिए जिन्हें हम बिना किसी घबराहट और नियत प्रक्रिया का पालन कर अपडेट करा सकते हैं।

हमें एनआरसी के लिए तैयारी करते रहना चाहिए जब तक यह समावेशी न हो।

हमें चुने हुए प्रतिनिधियों और राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करनी चाहिए।

हमें सरकार से नागरिकता साबित करने के लिए आवश्यक कट ऑफ डेट आदि को लेकर सरकार से सवाल करने चाहिए।

"किसी को नहीं पता कि कट-ऑफ डेट क्या होने वाली है"

जागरूक रहें

A) मतदाता पंजीकरण: हाशिए के तबके को निर्वाचित प्रक्रिया से बहिष्कृत किए जाने की शिकायतें काफी बढ़ रही हैं।

जब हम एक देश के रूप में सभी भारतीयों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने में कामयाब नहीं हुए हैं तो क्या हमसे निष्पक्ष पंजीकरण प्रक्रिया की उम्मीद की जा सकती है।

B) जन्म पंजीकरण: यूनिसेफ के अनुसार, देश में जन्म और मृत्यु में से हमारा जन्म को लेकर पंजीकरण स्तर वर्तमान में सिर्फ 58% है।

जब जन्म रजिस्ट्रेशन ही शत प्रतिशत नहीं है तो NPR/NRC से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं?

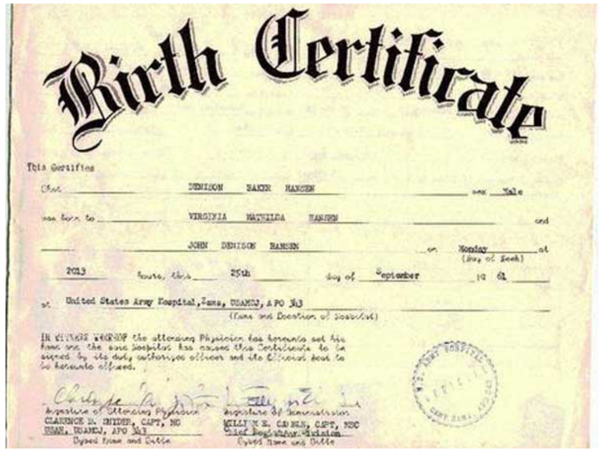

जागरूक रहें

C) आवास सांख्यिकी: जिन लोगों के पास घर या भूमि नहीं है, उनके लिए NPR/NRC में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक सबूत/प्रलेखन के मानक क्या होंगे?

d) प्रवासी श्रमिक: भारत के प्रवासी श्रमिकों को NPR/NRC कैसे पंजीकृत या रिकॉर्ड करेगा, जिनके पास कोई घर नहीं है और कोई जमीन नहीं है और उन्हें वोट का अधिकार भी नहीं दिया गया है।

यूनेस्को के अनुसार भारत में 2018 के अनुसार साक्षरता दर 70.47% है। अगर एनपीआर को सूचित करने वाला जो जानकारी एकत्र कर रहा है उसके तौर-तरीके जनगणना की तरह नहीं हैं तो यह असम की तरह भयावह और खराब हो सकता है।

A sample of the Resident Identity Card

प्रस्तावित कार्रवाई

क्या सभी पक्षों के भारतीयों को विपक्षी राजनीतिक दलों में शामिल होना चाहिए, एनपीआर की गणना के बाद पालन करने वाले पहलुओं पर स्पष्टता और चर्चा पर जोर नहीं देना चाहिए? क्या एनपीआर आवश्यक रूप से देशव्यापी एनआरसी का नेतृत्व करता है?

प्रमुख प्रश्न जो अभी बने हुए हैं

1. जब एक नौकरशाह या सरकार को हमारे "अधिकार रखने के अधिकार" तय करने के लिए विवेकाधीन शक्ति दी जाती है, तो सामान्य भारतीयों के लिए अकथनीय कठिनाइयों, आघात और अपवर्जन के अधीन होने की वास्तविक संभावनाएं होती हैं।

2. हमारे संवैधानिक अधिकारों व भारत का नागरिक होने व अस्तित्व फैसला सरकार या प्रशासन संसद में, सार्वजनिक व राजनीतिक चर्चा के बगैर पर्दा डालकर नहीं कर सकती।

प्रमुख प्रश्न जो अभी बने हुए हैं

3. अखिल भारतीय स्तर पर NRC बगैर उथल-पुथल और आघात के पूर्ण होती नजर नहीं आती।

4. यदि 27 जनवरी, 1950, नागरिकता के लिए आधार तिथि है, तो दस्तावेजी प्रमाण के लिए अधिकारियों का दृष्टिकोण क्या होगा, यह ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए किया जाएगा।

5. इसका मोडलिटीज और क्राइटेरिया क्या होगा, यह रेखांकित किया जाए कि एनपीआर में नामों को रिकॉर्ड करने/बाहर करने के लिए कौन से प्रूफ/कौन से दस्तावेजों का उपयोग किया जाएगा जो आगामी एनआरसी का आधार है? इन्हें कौन तय करेगा?

अंत मे

भारतीय संवैधानिक दृष्टि समावेश या बहिष्करण के एक निर्धारित दृष्टिकोण का पालन करती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में बहस को सूचित करना चाहिए।

हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सरकार इसके लिए बाध्य होगी।